**राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय परियोजना जाँच समिति (State Level Project Screening Committee) की प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 05.12.2016 का कार्यवृत्त।**

**बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न।**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय परियोजना जॉच समिति (SLPSC) की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2016 की अध्यक्षता हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त के अवकाश पर होने के कारण योजना की गाइड लाइन्स के प्रस्तर–6.1 के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा वरिष्ठ प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन को नामित किया गया। तद्नुसार प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 05.12.2016 को सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का प्रारम्भ करते हुए अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु रु0 337.78 करोड़ का एलोकेशन केन्द्र स्तर से 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के फंडिग पैटर्न पर प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय परियोजना जॉच समिति की विगत बैठक दिनांक 19.10.2016 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें संस्तुत परियोजनाओं के सापेक्ष राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 21.11.2016 में रु0 129.10 करोड़ की नवीन परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस प्रकार, एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 09.06.2016 में अनुमोदित रु0 221.85 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 तक की रु0 25.93 करोड़ की पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2016–17 हेतु वर्तमान में रु0 376.88 करोड़ की परियोजनाएं उपलब्ध हैं। आर0के0वी0वाई0 की गाइड लाइन्स के प्रस्तरः–8.5 पर दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य द्वारा केन्द्र स्तर से प्राप्त एलोकेशन के सापेक्ष 150 प्रतिशत सीमा तक परियोजनाएं अनुमोदित कराई जा सकती हैं। वर्ष 2016–17 हेतु प्राप्त एलोकेशन रु0 337.78 करोड़ का 150 प्रतिशत रु0 506.67 करोड़ की सीमा तक परियोजनाएं अनुमोदित की जानी अपेक्षित हैं। बैठक में समिति के समक्ष आर0के0वी0वाई0 सामान्य के अन्तर्गत रु0 200.37 करोड़ तथा Accelerated Fodder Development Programme (AFDP) उपयोजना की रु0 0.72 करोड़ की कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ समिति की संस्तुति हेतु प्रस्तुत की गई हैं, जिन पर समिति की संस्तुति अनुरोधनीय है।

तदोपरान्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डावार विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा दिए गए निर्णय/निर्देशों का विवरण निम्नवत् है :–

**1. एस0एल0पी0एस0सी0 की गत बैठक दिनांक 19.10.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की गत बैठक दिनांक 19.10.2016 को सम्पन्न हुई थी। बैठक का कार्यवृत्त शासन के पत्र संख्या–1411/12–3–2016–199/07टी.सी.

दिनांक 02.11.2016 के द्वारा जारी किया गया है। कार्यवृत्त की प्रति समिति के समस्त सदस्यों एवं कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। कार्यवृत्त के किसी भी प्रस्तर/अंश के संदर्भ में किसी भी स्तर से कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त एस0एल0पी0एस0सी0 की विगत बैठक दिनांक 19.10.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**2. विगत बैठक दिनांक 19.10.2016 के कार्यवृत्त में लिए गए निर्णयों पर परिपालन की स्थिति**

समिति को अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 19.10.2016 में लिए गये निर्णयों एवं निर्गत निर्देशों के अनुसार सामान्यतः सभी बिन्दुओं पर यथा–निर्देश कार्यवाही पूर्ण कराते हुए परिपालन करा लिया गया है। समिति द्वारा गत बैठक के कार्यवृत्त में इंगित बिन्दुओं पर प्रस्तरवार प्रस्तुत परिपालन की स्थिति का संज्ञान लिया गया तथा एस0एल0पी0एस0सी0 की आगामी बैठक में प्रस्तरवार परिपालन का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

**3. वर्ष 2016–17 की अद्यतन प्रगति की स्थिति**

**3.1**– समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 01.04.2016 को गत वर्ष के अप्रयुक्त के रूप में रू0 173.07 करोड़ की धनराशि राज्यांश सहित उपलब्ध थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.05.2016, 02.11.2016 एवं 11.11.2016 के द्वारा रू0 161.46 करोड़ राज्यांश सहित पुनर्वैध की गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.11.2016 के द्वारा ए0एफ0डी0पी0 उपयोजना की अप्रयुक्त धनराशि रू0 6.4848 करोड़ में से रू0 0.7176 करोड़ ए0एफ0डी0पी0 की अवशेष दायित्वों की शत्प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु तथा शेष धनराशि रू0 5.7672 करोड़ आर0के0वी0वाई0–सामान्य के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु 60:40 के फंडिग पैटर्न पर परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा न्यूट्रीफार्म तथा क्राप डाइवर्सीफिकेशन प्रोग्राम उपयोजना की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को आर0के0वी0वाई–सामान्य हेतु 60:40 के फंडिग पैटर्न पर परिवर्तित करते हुए कुल धनराशि रू0 11.6073 करोड़ का उपयोग वर्ष 2016–17 में करने की अपेक्षा की गयी है। निदेशालय के पत्र दिनांक 17.11.2016 के द्वारा क्राप डाइवर्सीफिकेशन प्रोग्राम उपयोजना की अप्रयुक्त धनराशि रू0 4.7222 करोड़ का पुनर्वैधीकरण इसी कार्यक्रम हेतु करने तथा रू0 6.8851 करोड़ को 60:40 के फंडिग पैटर्न पर आर0के0वी0वाई0–सामान्य अन्तर्गत परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

**3.2**– वर्ष 2016–17 हेतु केन्द्र स्तर से प्राप्त ऐलोकेशन रू0 543.96 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2016 एवं 10.10.2016 तथा दिनांक 11.11.2016 के द्वारा रू0 124.46 करोड़ केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध है। केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश रू0 82.97 करोड़ को सम्मिलित करते हुए रू0 207.43 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है। राज्यांश सहित पुनर्वैध धनराशि रू0 161.46 करोड़ को शामिल करते हुए वर्ष 2016–17 के लिए अब तक रू0 368.89 करोड़ की उपलब्धता है। राज्य स्तर से रू0 313.49

करोड़ की स्वीकृतियां विभिन्न कार्यदायी विभागों के पक्ष में जारी की जा चुकी है तथा रू0 54.34 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियान्तर्गत हैं। निर्गत स्वीकृतियों के विरूद्ध रू0 118.03 करोड़ (38 प्रतिशत) का व्यय करा लिया गया है। समिति द्वारा विभिन्न विभागों की प्रगति का संज्ञान लिया गया तथा समस्त कार्यदायी विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों का निष्पादन युद्ध स्तर पर कराते हुए धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग कराने के निर्देश दिए गए।

**4. पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में प्रस्तावित संशोधनों पर विचारः–**

समिति के समक्ष पशुपालन एवं मत्स्य की एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में प्रस्तावित संशोधनों का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागवार/परियोजनावार दिये गये निर्णय/निर्देशों का विवरण निम्नवत है :–

**1. पशुपालन विभागः–**

**a. Establishment of Disease Diagnostic Laboratories at District level:-** समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 05.02.2016 में वर्ष 2015–16 हेतु परियोजनान्तर्गत प्रदेश के 65 जनपदों में जनपद स्तरीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु रू0 2686.45 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी थी। परियोजनान्तर्गत प्रति रोग निदान प्रयोगशाला अनुमोदित रु0 41.33 लाख के अन्तर्गत रु0 33.33 लाख निर्माण कार्यों हेतु रु0 8.00 लाख आवश्यक उपकरणों हेतु अनुमोदित किया गया था। पी0एफ0ए0डी0 के द्वारा एक रोग निदान प्रयोगशाला के निर्माण कार्यों हेतु मानकीकरण करते हुए रु0 35.73 लाख के आगणन अनुमोदित किए गए हैं। विभाग द्वारा प्रति रोग निदान प्रयोगशाला, निर्माण कार्यों हेतु रु0 35.73 लाख एवं आवश्यक उपकरणों हेतु रु0 5.60 लाख प्रस्तावित करते हुए प्रति इकाई लागत रु0 41.43 लाख के अन्तर्गत ही कार्यों को पूर्ण कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तावित संशोधन से परियोजना की कुल अनुमोदित लागत रु0 2686.45 लाख पर कोई विपरीत प्रभाव अथवा परियोजना का व्यय भार नहीं बढ़ेगा। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना अनुमोदित कार्य घटकों के अन्तर्गत प्रस्तावित आंशिक संशोधित प्रति रोग निदान प्रयोगशाला के निर्माण कार्यों हेतु रु0 35.73 लाख एवं आवश्यक उपकरणों हेतु रु0 5.60 लाख के प्रस्ताव को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

**2. मत्स्य विभागः–**

**a. Strengthening of fisheries cooperative infrastructure through U.P. fisheries cooperative federation:-** समिति को अवगत कराया गया कि परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनाँक

19.02.2015 में वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित लागत रू0 55.57 लाख के स्थान पर मत्स्य विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधित कार्ययोजना लागत रू0 83.95 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रस्तावित कार्ययोजना का परीक्षण प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग के स्तर पर करा लिया जाए। समिति द्वारा प्रमुख सचिव, मत्स्य के परीक्षणोंपरान्त प्रस्तावित संशोधित कार्ययोजना को आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने निर्देश दिए गए।

**5- वर्ष 2016–17 हेतु नवीन परियोजना प्रस्तावों पर विचार :–**

समिति के समक्ष एजेण्डा–5 के रूप में आर0के0वी0वाई0 सामान्य एवं उपयोजनाओं हेतु कृषि एवं कृषि संवर्गीय विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित रु0 20108.79 लाख के परियोजना प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागवार/परियोजनावार दिये गये निर्णय/निर्देशों का विवरण निम्नवत् है:–

**5.1- कृषि विभाग:–**

**i- Promotion of crop residue management for Bulandsahar district:-** परियोजना लागत रू0 9985.50 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में भी फसल अवशेषों को जलाया जा रहा है, उसके दुष्प्रभाव से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा इस पर सख्त निर्देश जारी करते हुए यह निर्देशित किया गया कि उपयोगी कृषि यन्त्रों का वितरण कराते हुए इसको नियंत्रित करने की कार्यवाही की जाए। कृषि यन्त्रों का वितरण सीमान्त कृषकों को निःशुल्क, लघु कृषकों को रु0 5000.00 एवं वृहद कृषकों को रु0 15000.00 कृषक अंशदान पर किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रदेश में पड़ने वाले जनपदों में से एक जनपद को फसल अवशेषों के प्रभावी प्रबन्धन हेतु आदर्श (Model) जनपद के रुप में विकसित किया जाए। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त कार्य हेतु जनपद बुलन्दशहर का चयन फसल अवशेषों के प्रबन्धन हेतु किया गया है। उक्त निर्देशों के कम में कृषकों को फसल अवशेषों को जलाने से रोकने में सहायक कृषि यन्त्रों तथा उसके उचित उपयोग प्रबन्धन आदि के दृष्टिगत प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद हेतु रु0 9985.50 लाख (3 वर्षों के लिए), वर्ष 2016–17 हेतु रु0 1997.10 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। परियोजनान्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के 16 विकास खण्ड की समस्त 951 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत Rice Straw Chopper/Paddy Reaper-2, Zero till seed drill-2, Disk harrow-2, Rotavator-2, Happy seeder-2, Straw reaper-1 कृषि यन्त्र सीमान्त कृषकों को शत–प्रतिशत अनुदान, लघु कृषकों से रु0 5000 प्रति कृषि यन्त्र कृषक अंश तथा शेष धनराशि का अनुदान एवं वृहद कृषकों से रु0 15000 प्रति कृषि यन्त्र कृषक अंश तथा शेष धनराशि अनुदान के रुप में दी जानी प्रस्तावित है। समिति द्वारा इंगित किया गया कि आर0के0वी0वाई0

अन्तर्गत केन्द्र पोषित स्कीमों/मिशन आदि के कास्ट नार्म्स एवं सब्सिडी पैटर्न के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा सकता है। शेष 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था कृषक अंश अथवा कृषि विभाग द्वारा अपने राज्य बजट से कराई जाए एवं कृषि यन्त्र उन्हीं कृषकों को वितरित किए जाए, जिनके पास कृषि यन्त्र हेतु उचित हार्सपावर के ट्रैक्टर की उपलब्धता हो एवं पहले से सम्बन्धित यन्त्र न हो। तदोपरान्त् समिति द्वारा परियोजनान्तर्गत सीमान्त कृषकों को शत–प्रतिशत अनुदान (50 प्रतिशत अनुदान आर0के0वी0वाई0 से व 50 प्रतिशत अनुदान राज्य बजट से), लघु कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान आर0के0वी0वाई0 से व रु0 5000 प्रति कृषि यन्त्र कृषक अंश के रुप में तथा शेष धनराशि का अनुदान राज्य बजट से एवं वृहद कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान आर0के0वी0वाई0 से व रु0 15000 प्रति कृषि यन्त्र कृषक अंश के रुप में तथा शेष धनराशि का अनुदान राज्य बजट से वित्त पोषण करने के निर्देश के साथ आर0के0वी0वाई0 अंश के रुप में रु0 4992.75 लाख (03 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2016–17 हेतु रु0 998.55 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ की गई।

ii- **Establishment of center for supply of bio-agri input and marketing of bio-products** परियोजना लागत रू0 255.00 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 24 जनपदों के परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत (PKVY) जैविक कृषि को बढ़ावा देने के कार्य कराए जा रहे हैं। इन जनपदों में जैव कृषि उत्पादों के क्रय एवं विक्रय हेतु 24 जनपद स्तरीय जैव संशाधन केन्द्र, 48 विकास खण्ड स्तरीय संशाधन केन्द्र एवं 5 संशाधन केन्द्र राजकीय संस्थानों के स्तर पर अनुदान पर व्यक्तिगत लाभार्थी अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किए जाने हैं। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परियोजना को प्रथमतः 2 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में क्रियान्वित कराने के निर्देश के साथ वर्ष 2016–17 हेतु रु0 20.00 लाख की संशोधित कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

iii- **Assesment of crop yield in demonstrated field under various scheme:-** परियोजना लागत रू0 51.00 लाख :– समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त् परियोजना प्रस्ताव निरस्त किया गया।

iv- **Establishment of seed store and strengthening of Govt. agriculture input centre at Bijnor district:-** परियोजना लागत रू0 42.65 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि परियोजनान्तर्गत जनपद बिजनौर के विकासखण्ड–देवमल में नवीन बीज गोदाम के निर्माण, जलीलपुर बीज गोदाम की बाउन्ड्रीवाल, नूरपुर, नहटौर एवं धामपुर बीज गोदामों में जलभराव की निकासी एवं अन्य मरम्मत कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। समिति द्वारा इंगित किया गया कि मरम्मत कार्य आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत अनुमन्य नहीं हैं। तदोपरान्त् विकासखण्ड

देवमल में नवीन बीज गोदाम के निर्माण हेतु रु0 28.50 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ की गई।

**v- Monitoring and assessment of Arsenic pollution in Arsenic prone districts of U.P. :-** परियोजना लागत रू0 2178.77 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 20 जनपदों में भू–जल एवं भूमि आर्सेनिक की विषाक्तता से प्रभावित हैं। परियोजनान्तर्गत इन जनपदों के 264 विकासखण्डों से प्रथम वर्ष में समस्त विकास खण्डों से भूमि एवं जल तथा फसल उत्पादों के नमूना एकत्र कर उनमें आर्सेनिक तथा 8 अन्य तत्वों की विषाक्तता के परीक्षण आदि कार्य किए जाने हैं। परियोजना के द्वितीय वर्ष में 264 विकासखण्डों में से चिन्हिंत संवेदनशील 100 विकासखण्डों में पुनः अध्ययन कार्य किए जाएगें। इसके उपरान्त तृतीय वर्ष मे प्राप्त परीक्षण परिणामों के आधार पर 50 अतिसंवेदनशील विकासखण्ड लिए जाने प्रस्तावित हैं। परियोजनान्तर्गत खाद्य फसलों, सब्जियों, मसाले, निम्नस्तरीय पौधे एवं औषधीय पौधों में आर्सेनिक की संचयता, कृषि मृदा एवं सिंचाई जल में आर्सेनिक की सम्मिश्रणता, आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु डाटाबेस विकसित करना, पशुओं में आर्सेनिक की विषाक्तता के अध्ययन एवं प्रचार–प्रसार गतिविधियॉ संचालित की जानी हैं। समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि प्रस्तावित कार्यों के साथ अन्य विभागों/संस्थाओं यथा–जल निगम आदि द्वारा कराए जा रहे कार्यों के साथ द्विरावृत्ति/अंशछादन (Duplicacy/Overlapping) न की जाए। इसके अतिरिक्त एन0बी0आर0आई0 द्वारा कृषि निदेशक एवं उनकी टीम के समक्ष पुनः परियोजना के प्रत्येक घटक हेतु प्रस्तावित व्यय विवरण का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाए। कृषि निदेशक द्वारा परियोजना के प्रत्येक घटक का परीक्षण कराकर उसके सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति/अभिमत के साथ प्रस्तुत किया जाए। तद्नुसार समिति द्वारा परियोजना को अभिमत सहित एस0एल0एस0सी0 की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

**vi- Asset management and monitoring of Soil and water conservation work:-** परियोजना लागत रू0 625.94 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा कराए जा रहे मृदा जल संरक्षण कार्यों के प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एण्ड इनवायरोमेन्ट स्टडीज (RCUES), लखनऊ के माध्यम से 2 वर्ष में एम0आई0एस0 का विकास, प्रशिक्षण तथा डाटा सेंटर की स्थापना आदि के कार्य कराए जाने हैं। समिति द्वारा इंगित किया गया कि परियोजनान्तर्गत अधिकांशतः आवर्ती प्रवृति के कार्य प्रस्तावित हैं, जिसके दृष्टिगत उचित होगा कि कार्ययोजना को कार्य आधार पर पुनर्गठित किया जाए। समिति द्वारा परियोजनान्तर्गत परियोजना प्रबंधक, डाटा इन्ट्री/आपरेटर एवं यात्रा भत्ता आदि मदों में क्रमशः प्रस्तावित धनराशि रु0 20.40 लाख, रु0 66.00 लाख एवं रु0 36.48 लाख, कुल रु0 122.88 लाख को कम करने के निर्देश दिए गए। तदोपरान्त् समिति द्वारा 2 वर्षों हेतु रु0 503.06 लाख

का वर्षवार स्पष्ट भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ कार्ययोजना पुनर्गठित करने तथा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

vii- **Development of infrastructure for enhancement of extension, communication and training facilities at Rajkiya Krishi Vidhyalaya, Bulandsahar:-** परियोजना लागत रू0 3130.60 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में राजकीय कृषि विद्यालय की स्थापना 1921 में की गई। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य सतत् उन्नति एवं विकास हेतु ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं को तैयार करना था। इस विद्यालय में 2 वर्षीय कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 1984 तक संचालित किया गया। उसके पश्चात यह पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया। वर्तमान में विद्यालय स्तर पर कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विद्यालय में पूर्व स्थापित अवस्थापनाएं एवं संसाधन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। विद्यालय स्तर पर अवस्थापना विकास के माध्यम से प्रसार प्रशिक्षण, संचार एवं कृषि प्रबन्धकीय केन्द्र के रुप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों हेतु रु0 3130.60 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् परियोजना के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिए गए कि परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रत्येक घटक का परीक्षण कृषि निदेशक के स्तर पर कराकर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को सम्मिलित करते हुए कार्ययोजना आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गई।

viii- **Establishment of agriculture input and technology dissemination center at block level:-**परियोजना लागत रू0 3545.00 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के ऐसे 100 विकास खण्डों में जहॉ पर कृषि विभाग के राजकीय कृषि बीज भण्डारों हेतु विभागीय भवन उपलब्ध नहीं हैं, अथवा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण बीज भण्डार किराए के भवनों में/अन्य भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। परियोजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 100 मी0टन भण्डारण क्षमता का गोदाम, बीज भण्डार प्रभारी कक्ष, प्रसाधन एवं वरामदा आदि हेतु 137.70 वर्ग मीटर में रु0 35.45 लाख की लागत से नवीन निर्माण कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना को एस0एल0एस0सी0 की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

ix- **Liabilities of Small Farmers Agro-Consortium (SFAC):-**परियोजना लागत रू0 280.00 लाख :– समिति द्वारा परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना के साथ प्रस्ताव आगामी एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

x- **Liabilities of Accelerated Fodder Development Programme (AFDP):-**परियोजना लागत रू0 71.76 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत संचालित त्वरित चारा विकास योजना (AFDP) उपयोजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में यू0पी0 एग्रो

के माध्यम से वितरित 1794 चारा मशीनों के सापेक्ष रु0 4000.00 प्रति चारा मशीन की दर से रु0 71.76 लाख की देनदारियों के भुगतान लम्बित हैं। उपयोजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2016 को वर्ष 2013–14 के अप्रयुक्त अवशेष के रुप में रु0 648.48 लाख की धनराशि उपलब्ध थी, जिसके सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांकः–1–27/2016–आर0के0वी0वाई0 दिनांक 11.11.2016 के द्वारा लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु रु0 0.72 करोड़ (रु0 71.76 लाख) वर्ष 2016–17 में शत–प्रतिशत केन्द्रांश के रुप में व्यय करने हेतु पुनर्वैध की गई है। उपयोजना की शेष धनराशि रु0 576.72 लाख को आर0के0वी0वाई0 सामान्यन्तर्गत वर्ष 2016–17 में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की किस्त के सापेक्ष समायोजित करने के निर्देश के साथ 60:40 के फंडिंग पैटर्न पर व्यय कराने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि धनराशि रु0 71.76 लाख का व्यय उपयोजनार्न्तगत चारा मशीनों के लम्बित देनदारियों का भुगतान भारत सरकार के अनुमोदनानुसार कराए जाने का दायित्व कृषि निदेशक/सम्बन्धित योजना अधिकारी का होगा। तदोपरान्त् समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव लागत रु0 71.76 लाख को आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

**2. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागः–**

i- **Strengthening of Government Horticulture nurseries and farms** परियोजना लागत रू0 1309.35 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश के 16 जनपदों में स्थापित राजकीय उद्यान प्रक्षेत्र एवं पौधशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु बाउन्ड्रीवाल, तार–बाड़, सिंचाई नाली, पम्प हाउस, बोरिंग, सी0सी0 रोड, चौकीदार/विक्रय स्थल का निर्माण, आवासीय भवनों की मरम्मत, सोलर पम्पों की स्थापना आदि के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भवनों की मरम्मत लागत रु0 14.46 लाख को कम करते हुए परियोजना लागत रु0 1294.89 लाख को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

**3. पशुपालन विभागः–**

i- **Prevention of Japanese Encephalitis disease in swine** परियोजना लागत रू0 6199.74 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों में 48344 सूकर पालकों को जैपनीज इन्सैफलाइटिस बीमारी के प्रति जागरुक करने तथा सूकरों से फैलने वाली इस बीमारी की रोकथाम हेतु 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजनान्तर्गत सूकर फार्म/बाड़ों के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 12750.00 प्रति सूकर फार्म शत–प्रतिशत अनुदान पर प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना प्रस्ताव को गाइड लाइन्स के अनुरूप न होने के कारण निरस्त किया गया।

**4. गन्ना विभागः–**

**i- Enhancing sugarcane production in U.P.- Part 2** परियोजना लागत रू0 943.69 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के गन्ना उत्पादक जनपदों में कृषकों को गन्ना की खेती हेतु उपयोगी कृषि यन्त्रों का 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण, 8 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं 33 एम0एच0ए0टी0 (Moist Hot Air Treatment Chamber) की स्थापना हेतु रु0 943.69 लाख की योजना प्रस्तुत की गई। परियोजनान्तर्गत 123 मिनी ट्रैक्टरों हेतु प्रस्तावित लागत रु0 215.25 लाख आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मिनी ट्रैक्टरों हेतु प्रस्तावित लागत रु0 215.25 लाख को कम करते हुए रु0 728.44 लाख को एस0एल0एस0सी0 के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति इस निर्देश के साथ की गई कि परियोजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों का वितरण कृषि विभाग के डाटाबेस पर पंजीकृत कृषकों को ही किया जाए तथा अनुदान का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए।

**5. उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि :–**

**i- Strengthening and development of Atari farm** परियोजना लागत रू0 27.30 लाख :– समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परियोजना प्रस्ताव को परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना के साथ पुनः एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

**6. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0वि0, कानपुर :–**

**i- Monitoring of pesticide and its effect on vegetable and human health risk management in U.P.**परियोजना लागत रू0 946.34 लाख :– समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परियोजना को उपकार के अभिमत के साथ आगामी एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

**7- उ0प्र0 बीज विकास निगम :–**

**i- Construction of Seed Processing Plant and Godown at Moradabad** परियोजना लागत रू0 699.68 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि जनपद मुरादाबाद में 2000 मै0टन भण्डारण क्षमता का गोदाम एवं बीज विधायन सयंत्र इकाई स्थापना आदि के निर्माण कार्यों हेतु यू0पी0पी0डब्ल्यू0डी0 की दरों पर रु0 699.68 लाख की परियोजना प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परियोजना को आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

**8. प0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा वि0वि0 एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुराः–**

**i- Establishment of modernized goat farm for strengthening goat husbandry practices in U.P.** परियोजना लागत रू0 440.05 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि पी0डी0डी0यू0, मथुरा द्वारा आधुनिक बकरी फार्म की स्थापना के माध्यम से बकरी पालन

गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण हेतु तीन वर्षों के लिए रु0 440.05 लाख एवं वर्ष 2016–17 हेतु रु0 172.63 लाख की योजना प्रस्तावित की गई है। परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य यू0पी0पी0डब्ल्यू0डी0 की दरों पर कराए जाने हैं। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परियोजना हेतु तीन वर्षों के लिए रु0 440.05 लाख एवं वर्ष 2016–17 हेतु रु0 172.63 लाख को आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

ii- **Establishment of animal feed analytical and quality assurance laboratory** परियोजना लागत रू0 178.00 लाख :– सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना प्रस्ताव को समिति द्वारा निरस्त किया गया।

iii- **Establishment of Veterinary diagnostic referral laboratory** परियोजना लागत रू0 386.00 लाख :– सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना प्रस्ताव को समिति द्वारा निरस्त किया गया।

iv- **Food security and development of dairy sector in Uttar Pradesh through strategic control of subclinical parasitism** परियोजना लागत रू0 115.90 लाख :– सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना प्रस्ताव को समिति द्वारा निरस्त किया गया।

v- **Surveillance of infectious diseases responsible for reproductive disorders of bovines in U.P** परियोजना लागत रू0 79.75 लाख :– सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना प्रस्ताव को समिति द्वारा निरस्त किया गया।

vi- **Establishment of environment controlled chamber and calorimetric unit to enhance productive of livestock in the scenario of climate change in U.P.** परियोजना लागत रू0 309.50 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि पी0डी0डी0यू0, मथुरा द्वारा प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण देशी गौवंशीय पशुओं पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु वातावरण नियंत्रित चैम्बर की स्थापना एवं आवश्यक उपयोगी उपकरणों हेतु तीन वर्षों के लिए रु0 309.50 लाख एवं वर्ष 2016–17 हेतु रु0 265.50 लाख की योजना प्रस्तावित की गई है। परियोजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 एवं आगामी दो वर्षों हेतु प्रस्तावित परिचालन लागत रु0 10.00 लाख एवं रु0 47.50 लाख कुल रु0 57.50 लाख आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परियोजना हेतु वर्ष 2016–17 हेतु रु0 252.50 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ की गई।

vii- **Strengthening and modernization of University farm** परियोजना लागत रू0 908.14 लाख :– सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना प्रस्ताव को समिति द्वारा डिफर किया गया।

9. केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊः–

i- **Refinement and demonstration of hydroponic techniques for high value vegetable production in sub-tropical areas** परियोजना लागत रू0 106.22 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि सी0आई0एस0एच0, लखनऊ द्वारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम आधारित तकनीक से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों हेतु रु0 106.22 लाख (3 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2016–17 हेतु रु0 87.22 लाख की परियोजना प्रस्तुत की गई। परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा संस्तुत किया गया है। परियोजना हेतु प्रथम वर्ष हेतु आर0के0वी0वाई0 से वित्त पोषण होने के पश्चात यदि अपरिहार्य कारणोंवश आगामी वर्षों के लिए वित्त पोषण आर0के0वी0वाई0 से नहीं हो पाता है, तो संस्थान द्वारा अपने संसाधनों से परियोजना की निरन्तरता बनाए रखने सम्बन्धी वचनबद्धता अपेक्षित है। संस्थान के वैज्ञानिक डा0 एस0आर0 सिंह द्वारा समिति को आश्वस्त किया गया कि आर0के0वी0वाई0 से आगामी दो वर्षों हेतु यदि वित्त पोषण प्राप्त नहीं होता है, तो परियोजना के कार्य संस्थान अपने संसाधनों से पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है। समिति द्वारा सम्यक विचरोपरान्त रु0 106.22 लाख (3 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2016–17 हेतु रु0 87.22 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रदत्त की गई।

उक्तानुसार समिति द्वारा विभागवार/परियोजनावार एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ संस्तुत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

**धनराशि रु0 लाख में**

| S.N. | Department/ Name of Project | Stream | Duration | Proposed cost | | SLPSC recommended cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total cost | Cost for 2016-17 | Total cost | Cost for 2016-17 |
| **A** | **Agriculture** | | | | | | |
| 1 | Promotion of crop residue management for Bulandsahar district | I | 3 | 9985.50 | 1997.10 | 4992.75 | 998.55 |
| 2 | Establishment of center for supply of bio-agri input and marketing of bio-products | I | 1 | 255.00 | 255.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | Assesment of crop yield in demonstrated field under various scheme | P | 1 | 51.50 | 51.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Establishment of seed store and strengthening of Govt. agriculture input centre at Bijnor district | I | 1 | 42.65 | 42.65 | 28.50 | 28.50 |
| 5 | Monitoring andassessment of Arsenic pollution in Arsenic prone districts of U.P. | P | 3 | 2178.77 | 1291.57 | 2178.77 | 1291.57 |
| 6 | Asset management and monitoring of Soil and water conservation work | P | 1 | 625.94 | 625.94 | 503.06 | 503.06 |

| S.N. | Department/ Name of Project | Stream | Duration | Proposed cost | | SLPSC recommended cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total cost | Cost for 2016-17 | Total cost | Cost for 2016-17 |
| 7 | Development of infrastructure for enhancement of extension, communication and training facilities at Rajkiya Krishi Vidhyalaya, Bulandsahar | I | 1 | 3130.60 | 3130.60 | 3130.60 | 3130.60 |
| 8 | Establishment of agriculture input and technology dissemination center at block level | I | 1 | 3545.00 | 3545.00 | 3545.00 | 3545.00 |
| 9 | Liabilities of Small Farmers Agro-Consortium (SFAC) | P | 1 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Liabilities of Accelerated Fodder Development Programme (2011-12) | S | 1 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | 71.76 |
| | **Sub total** | | | **20166.72** | **11291.12** | **14470.44** | **9589.04** |
| **B** | **Horticulture** | | | | | | |
| 11 | Strengthening of Ghovernment Horticulture nurseries and farms | I | 1 | **1309.35** | **1309.35** | **1294.89** | **1294.89** |
| **C** | **Animal Husbandry** | | | | | | |
| 12 | Prevention of Japanese Encephalitis disease in swine | I | 2 | **6199.74** | **3223.38** | **0.00** | **0.00** |
| **D** | **Sugarcane** | | | | | | |
| 13 | Enhancing sugarcane production in U.P.- Part 2 | I | 1 | **943.69** | **943.69** | **728.44** | **728.44** |
| **E** | **UP Sainilk Punarwas Nidhi Farm** | | | | | | |
| 14 | Strengthening and development of Atari farm | I | 1 | **27.30** | **27.30** | **0.00** | **0.00** |
| **F** | **CSAUAT, Kanpur** | | | | | | |
| 15 | Monitoring of pesticide and its effect on vegetable and human health risk management in U.P. | P | 2 | **946.37** | **515.61** | **0.00** | **0.00** |
| **G** | **UP Beej Vikas Nigam** | | | | | | |
| 16 | Construction of Seed Processing Plant and Godown at Moradabad. | I | 1 | **699.68** | **699.68** | **699.68** | **699.68** |
| **H** | **PDDU, Mathura** | | | | | | |
| 17 | Establishment of modernized goat farm for strengthening goat husbandry practices in U.P. | I | 3 | 440.05 | 172.63 | 440.05 | 172.63 |
| 18 | Establishment of animal feed analytical and quality assurance laboratory | I | 3 | 178.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Establishment of Veterinary diagnostic referral laboratory | I | 3 | 386.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Food security and development of dairy sector in Uttar Pradesh through strategic control of subclinical parasitism | I | 2 | 115.90 | 97.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Surveillance of infectious disease responsible for reproductive disorders of bovines in U.P. | P | 3 | 79.75 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Establishment of environment controlled chamber and calorimetric unit to enhance productive of livestock in the scenario of climate change in U.P. | I | 3 | 309.50 | 262.50 | 252.50 | 252.50 |

| S.N. | Department/ Name of Project | Stream | Duration | Proposed cost | | SLPSC recommended cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total cost | Cost for 2016-17 | Total cost | Cost for 2016-17 |
| 23 | Strengthening and modernization of University farm | I | 1 | 908.14 | 908.14 | 0.00 | 0.00 |
| | **Sub total** | | | **2417.34** | **1919.42** | **692.55** | **425.13** |
| **I** | **CISH, Rehmankhera** | | | | | | |
| 24 | Refinement and demonstration of hydroponic techniques for high value vegetable production in sub-tropical areas | P | 3 | 106.22 | 87.22 | 106.22 | 87.22 |
| | **Production and growth** | P | | **4268.55** | **2864.09** | **2788.05** | **1881.85** |
| | **Infrastructure and assets** | I | | **28476.10** | **17080.92** | **15132.41** | **10870.79** |
| | **Total** | | | **32744.65** | **19945.01** | **17920.46** | **12752.64** |
| | **Administrative** | | | **327.45** | **199.45** | **179.20** | **127.53** |
| | **Total (Normal RKVY)** | | | **33072.10** | **20144.46** | **18099.66** | **12880.17** |
| | **Sub-scheme** | S | | **71.76** | **71.76** | **71.76** | **71.76** |
| | **Grand total** | | | **33143.86** | **20216.22** | **18171.42** | **12951.93** |

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन,
कृषि अनुभाग–3

संख्या – 1515 /12–3–2016–199/07 टी०सी०-1 लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
11. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, लखनऊ।
14. परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण परियोजना उ0प्र0 लखनऊ।

15. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
16. कुलपति, नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
17. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
18. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
19. कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चि0 विज्ञान वि0वि0 एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
20. कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
21. कुलपति, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा।
22. निदेशक, आर0के0वी0वाई0 भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
23. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
24. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
25. निदेशक, उ0प्र0 बीज प्रमाणीकरण संस्था, आलमबाग, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
28. निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
29. निदेशक, रेशम विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
30. निदेशक, एन0बी0आर0आई0, लखनऊ।
31. निदेशक, सी0आई0एस0एच0, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
32. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
33. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ।
34. प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
35. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, लखनऊ।
36. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
37. प्रमुख अभियंता, सिंचाई (यांत्रिक/नलकूप) विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
38. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन लखनऊ।
39. नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से

( ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी )
विशेष सचिव।